



राजस्थान आवासन मण्डल

भविष्य के बाजार में बने आप भी भागीदार

वाणिज्यिक बैल्ट मध्यम मार्ग व अरावली पथ के मध्य मानसरोवर योजना में वाणिज्यिक भूखण्ड F-12 की

नीलामी दिनांक
22.02.2012



भाव्य नीलामी

समय
प्रातः 11.00 बजे

नीलामी स्थल:

आवासन मण्डल मुख्यालय, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल	भूमि की आरक्षित दर	अमानत राशि	न्यूनतम विक्रय मूल्य
2692.67 वर्ग मीटर	₹ 29870/- प्रति वर्ग मीटर	₹ 50.00 लाख	₹ 46500/- प्रति वर्ग मीटर



पैरामीटर्स

क्र. सं.	विवरण	पैरामीटर्स
1.	अधिकतम भूमि का आच्छादित क्षेत्र	878.97 वर्ग मीटर
2.	एफ. ए. आर.	वर्तमान प्रचलित भवन विनियम के अनुसार
3.	ऊँचाई	वर्तमान प्रचलित भवन विनियम के अनुसार
4.	सेट बैक	उत्तर - 9 मीटर दक्षिण - 15 मीटर पूर्व - 9 मीटर पश्चिम - 12 मीटर

मुख्य विशेषताएँ

- जयपुर की प्रतिष्ठित कॉलोनी मानसरोवर के मुख्य भाग में सर्वसुलभ पहुंच में स्थित व्यावसायिक स्थल
- हवाई अड्डे से मात्र 7 किमी. दूरी पर स्थित
- रेलवे स्टेशन से मात्र 8 किमी. एवं केन्द्रीय बस स्टेशन से मात्र 9 किमी. की दूरी पर स्थित
- जयपुर शहर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर

नियम एवं शर्तें:- (1) सभी बोलीदाताओं को धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जो कि राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के पक्ष में देय हो, जमा करवाने के पश्चात् ही बोली में शामिल किया जायेगा। (2) नीलामी कम से कम तीन बोलीदाताओं की उपस्थिति में ही की जायेगी, अन्यथा नीलामी को निरस्त समझा जायेगा। (3) नीलामी न्यूनतम रुपये 46500/- प्रति वर्ग मीटर से शुरू की जायेगी। (4) नीलामी "जहाँ है वैसा है" के आधार पर की जायेगी। (5) राजस्थान आवासन मण्डल को किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा। (6) उच्चतम बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली राशि का 5% जिसमें धरोहर राशि समायाजित करते हुए, नीलामी के बाद उसी दिवस को साथ 6.00 बजे तक तथा 10% नीलामी के 72 घण्टे के अन्दर कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-IV, राजस्थान आवासन मण्डल, मानसरोवर, जयपुर के कार्यालय में जमा करनी होगी। सभी राशियाँ बैंकर्स चेक/डी.डी. के द्वारा जो राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम देय होगा जमा करनी होगी। (7) आर्बिटन पत्र जारी होने के 30 दिन के अन्दर लीच मनी व ए.एस.सी. चार्ज के साथ 85% बकाया राशि जमा करवानी होगी। 15% लीच मनी 99 वॉर्ग के लिए रिजर्व प्राइस पर प्रतिवर्ष चार्ज की जायेगी। ए.एस.सी. चार्ज 3% कुल बोली राशि की अतिरिक्त चार्ज होगी। (8) स्थानीय प्राधिकरण के बिल्डिंग नॉटिफिकेशन अपनाते हुए और सम्बन्धित प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य करवाना होगा। अन्य नियम चे.डी.ए. बिल्डिंग अधिनियम-2010 के अन्तर्गत होंगे। (9) भवन की ऊँचाई वर्तमान प्रचलित भवन विनियम के अनुसार (एयरपोर्ट ऑथोरिटी से क्लीयरेंस लेने के बाद) (10) नीलामी में बोलीदाता के साथ केवल एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जायेगा। (11) नीलामी के दौरान मोबाइल का प्रयोग निषेध है। (12) बोली 100 रुपये के गुणक में स्वीकार की जाएगी।

सम्पर्क सूत्र

उप-आवासन आयुक्त (वृत्त-द्वितीय)
मानसरोवर, जयपुर, फोन: 0141-2782772
फैक्स: 0141-2783089

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-षष्ठम
राजस्थान आवासन मण्डल, मानसरोवर, जयपुर
फोन: 0141-2782531